सहायता योजना

सहायता योजना इस संस्थान का ध्वज–पोत(प्रमुख) कार्यक्रम है,जो विभिन्न साम्प्रदायिक,जातीय,राष्ट्रीय अथवा आतंकवादी हिंसा में अनाथ या निराश्रित बच्चों को उनकी देख–रेख,शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना से समन्वित है ।

(सहायता प्राप्त बच्चों का विस्तृत विवरण)

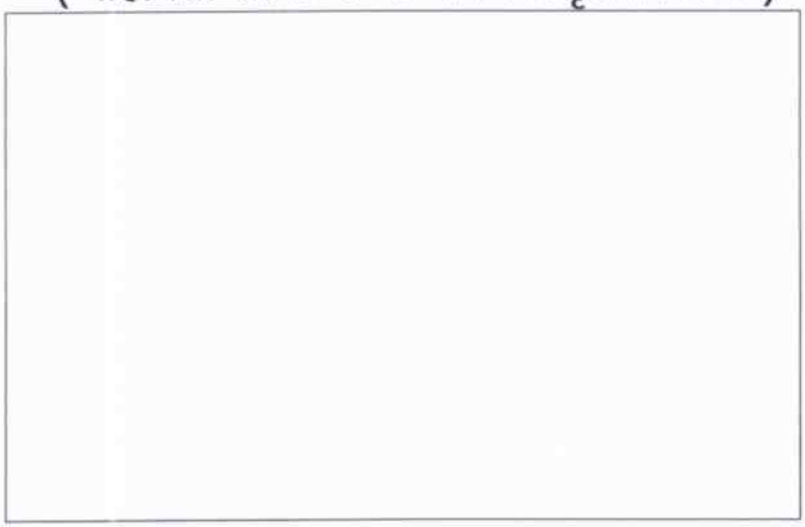

सहायता प्राप्त बच्चे जिन्होंने 2011 के झंडा दिवस समारोह में भाग लिया ।

भाग–अ योजना का विस्तृत विवरण

(i) अर्हता प्रकिया–

– इस अर्थ में एक बच्चा तब अनाथ या निराश्रित हो जाता है,जब या तो माता–पिता में से दोनों या जीवित अभिभावक या मुख्य जीविकोपार्जन करने वाला मारा गया हो,या साम्प्रदायिक,जातीय,राष्ट्रीय अथवा आतंकवादी हिंसा के कारण पूर्ण रूप से अपंग हो गया हो ।

– पीड़ित के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये से ज्यादा न हो ।

– पीड़ित बच्चा किसी अन्य श्रोत से नियमित रूप से कोई अन्य सहयोग न पा रहा हो(राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रशासन द्वारा

ऐसे पीड़ित को एकमुश्त प्रदत्त आर्थिक सहयोग इस उद्देश्य के लिए दूसरा आर्थिक श्रोत नहीं माना जायेगा)

– सहयोग 25 वर्ष की उम्र तक ही स्वीकार्य है,यदि कोई बच्चा अनवरत तीन तक से अधिक एक ही कक्षा में रह जाता है वह (लड़का या लड़की) सहयोग पाने के लिए अर्ह नहीं माना जायेगा ।

(ii) पात्र बच्चों की पहचान–

– जिलाधिकारी अथवा उप–आयुक्त के अधीन जिला कमेटी जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक,जिला समाज कल्याण अधिकारी,जिला शिक्षा अधिकारी,जिला बाल एवं महिला विकास अधिकारी सदस्य होंगी,लाभार्थियों की पहचान करेंगी और उनकी पात्रता का सत्यापन करेंगी ।

– जिला समिति सहयोग की प्रकिया निर्धारित करेगी,अर्थात् देयता बच्चे के परिवार,रिश्तेदार,शैक्षणिक संस्था,विधिक अभिभावक,पालन–पोषणकर्ता अभिभावक,बाल–सदन इत्यादि के माध्यम से बनेगी ।

– जिला समिति संस्थान को निर्धारित फार्म(संलग्नक II) में अपनी संस्तुति भेजती है ।

कक्षा / विषय	**धनराशि**
बारहवीं तक	रू0 1000 / – प्रतिमाह प्रति बच्चा
स्नातक / स्नातकोत्तर	रू0 1250 / – ,, ,,
व्यावसायिक विषय– चिकित्सा / अभियंत्रण और प्रबंधन	रू0 1500 / – ,, ,,

(iii) **स्वीकृति एवं धन–प्रेषण–**

– जिलाधिकारी / डिप्टी कमिश्नर "डिस्ट्रिक्ट कमेटी राष्ट्रीय संस्थान वास्तु साम्प्रदायिक सौहार्द्र,जिला––––––––––––" के नाम से एक अलग बैंक खाता खोलेगा,खाते का संचालन जिलाधिकारी / द्वारा नामित किनहीं दो संयुक्त अधिकारियों अर्थात जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर,जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

– सहयोग राशि शैक्षणिक सत्र के प्रथम क्वार्टर में वार्षिक अग्रिम के रूप में प्रदान किया जायेगा । यह राशि प्राप्त करने वाले

के खाते में उचित सत्यापन के बाद अधिसूचित बैंक में दर्ज की जायेगी ।

– प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में निम्नलिखित प्रोफार्मा में सहयोग योजना के तहत अन्तिम आर्थिक वर्ष के दौरान यदि कोई फन्ड उपलब्ध हो,जो विगत वर्षों का हो,संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा संस्तुत फन्ड की स्थिति के विषय में इस संस्थान को एक रिपोर्ट भेजेंगे ।

समापन वर्ष के लिए फन्ड की स्थिति					
बच्चों को सहयोग प्रदान के लिए संस्थान द्वारा प्राप्त धनराशि का विवरण		भुगतान का विवरण		अवशेष राशि के भुगतान न किए जाने का कारण	
पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि रूपये	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि रूपये	अवशेष धनराशि रूपये

– सहयोग को जारी रखने की संस्तुति

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर

प्रत्येक वर्ष आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए सहयोग को जारी रखने के औचित्य के विषय में सत्र प्रारम्भ के एक महीने के भीतर निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे–(नये प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है और सहयोग के नवीनीकरण का प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है ।)

(अ) इस आशय का उपयोगिता प्रमाण पत्र कि अब तक की तिथि के लिए सहयोग योजना के तहत निर्गत आर्थिक सहयोग की धनराशि का भुगतान दिनांक––––––(तिथि अंकित सकी जाय) प्राप्त करा दी गयी है ।

(ब) अब जिस बच्चे के लिए आर्थिक सहयोग की संसतुति की जा रही है,वह वास्तव में एक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है,अथवा और उचित रोजगार से योजित होने के लिए उच्च तकनीकी ज्ञान के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ।(यदि बच्चा पॉच वर्ष से कम है,तो लागू न होगा ।) और

(स) निर्धारित समय सीमा से परे आर्थिक सहयोग को जारी रखना----------(समय का उल्लेख) आवश्यक प्रतीत होता है,अतः संस्तुति की जाती है ।

– जारी अध्ययन प्रमाण पत्र संबंधित शैक्षणिक संस्था का(स्पेशिमेन अ संलग्नक II) वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं तहसीलदार द्वारा जारी परिवार की वर्तमान आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति(स्पेशिमेन ब–संलग्नक II) एक बार जारी किया गया ।

अन्य प्रमाण–पत्र तीन वर्ष के लिये वैध होगा। यदि इस दौरान बच्चे के माता–पिता अथवा अभिभावक कोई जीविका पा जाते हैं, इसे स्वेच्छा से जिले के सक्षम अधिकारी को बताना हो, जो तत्काल इस संस्थान को सूचना भेजेंगे।

आर्थिक सहयोग के भुगतान हेतु उपरोक्त प्रमाण–पत्र /दस्तावेज आवश्यक होगा।

(VII) सहयोग पाने वाले बच्चों की संस्था दिनांक 13.03.2012 तक इस प्रोजेक्ट असिस्ट क अन्तर्गत 19 राज्यों और एक यूनियन टेरीटी के कुल 11033 बच्च लाभान्वित हुए।

– 2011 के दौरान सहयोग राशि रूपये 4.41 करोड बच्चों को भुगतान किया गया।
– 31.03.2012 तक रू0 43.89 करोड़ सहयोग राशि प्रदान की गयी।
– 323 नये प्रकरण की संस्तुति दी गयी और 2011–12 के दौरान इस योजना के तहत 3911 नये केसंज सहायेाग राशि के लिये नवीनीकृत किये गए।

भाग–ब कुछ राज्यों में नोडल एजेन्सियों से फाउन्डेशन सहयोग निम्न लिखित संगठनो से सहयोग कर रहा है:–

i. आश्वास (Aashawas) असम पुलिस के अन्तर्गत कार्यरत एक इकाई असम में मिलिटेन्सी, आतंकवादी या एथनिक साम्प्रदायिक हिन्सा से पीड़ित बच्चों के पहचान में इस संस्था का सहयोग कर रही है और उन्हे आर्थिक सहयोग एन.एफ.सी.एच. द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आश्वास हिंसा से प्रभावित बच्चों को सामयिक सहयोग प्रदान करने के लिये सभी जिला के प्राधिकारियों के साथ सहयोग प्रदान कर रही है।

[पता– Aashawas , C/o Addl. DGP (TAP), aSSAM Police HeadquartersUlubari, Guwahati- 781007 Phone: 2453187]

ii. विधवाओं, अनाथों विकलांगो और बृद्धों के पुनर्वास के लिये कौंसिल मिलिटेन्सी के पीड़ितों के लिये जम्मू ओर कश्मीर की सरकार कार्य कर रही है। यह कौंसिल जम्मू और कश्मीर राज्य में जिलों के अधिकारियों के सहयोग व समन्वय से आतंकवाद से पीडित बच्चों की पहचान में इस फाउन्डेशन का सहयोग कर रही है।

[पता– CouncilFor Rehabilitation of Widows, Orphans, Handicapped and Old Persons, Social Welfare Department, Civil Secretariat , Jammu/Srinagar, J&K Phone: 0191-2572320 (Jammu- may to October) 0194- 2458928 (Srinagar- November to April)]

अनुलग्नक– II

साम्प्रदायिक सौहार्द हेतु राष्ट्रीय फाउंडेशन

बालक / बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें।

सांप्रदायिक,जातीय या आतंकवादी हिंसा से पीड़ित बच्चों के सहायता हेतु प्रार्थनापत्र का प्रारूप (प्रत्येक बच्चे केलिय पृथक प्रार्थना–पत्र का उपयोगा होगा)

भाग–1

(बच्चे के माता–पिता / अभिभावक या पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा बड़े एवं साफ अक्षरों में भरा जावेगा)

1.अभ्यर्थी का नाम :.....

2.बच्चे से सम्बन्ध .....

3.अभ्यर्थी का पता.....

.....

4.उस बच्चे का विवरण जिसके विषय में सहायता की प्रार्थना की जा रही है।

अ–नाम.....

ब–लिंग.....

स–पिता का नाम..... .....

द–माता का नाम.....

ई–जन्म तिथि.....

फ–स्कूल का नाम एवं पता.....

.....

जी– कक्षा .....

एच–यदि विकलांगता / अपंगता है तो उसकी प्रकृति एवं प्रतिशत.....

5.घटना का विवरण: .....

.....

अ–घटना का दिनांक:.....

ब–घटना स्थल .....

स–घटना का प्रकार (जैसे–साम्प्रदायिक,जातीय, आतंकवादीहिंसा).....

.....

द–बच्चे के परिवार में हुई जनहानि.....

6.परिवार एवं बच्चे का सामाजिक स्तर:

(क) क्या बच्चे के माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गयी है ?

(ख) क्या मुख्य आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है ?

(ग) क्या मुख्य आय अर्जित करने वाला व्यक्ति स्थयी रूपा से अपंग हो चुका है–

(घ) क्या जीवित माता पिता बच्चे को आसरा देने में असमर्थ हैं यदि हॉ तो कारण–

(ड.) व्यवसाय तथा परिवा की वार्षिक आय–

(च) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा एक मुश्त प्रदान की गयी सहायता, पेंशन को समिमलित करते हुये (यदि कोई है) तो उसका विवरण–

(छ) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये नियमित रूप से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण–

7.हिंसा से पीड़ित परिवार के बच्चों की संख्या व उनका विवरण–––

क्रम संख्या	बच्चे का नाम	आयु	क्या सहायता केलिये अर्हता रखता है यदि हॉ तो क्या प्रथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी अथवा नहीं
1	2	3	4
(i) (ii) (iii) (iv)			

8. संलग्न प्रमाण–पत्र:

(i) जन्म तिथि प्रमाणपत्र (स्कूल/ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा निर्गत) (संदर्भ–बिन्दु संख्या 4 ई उपरोक्त)

(ii) वर्तमान विद्यालय का विद्यार्थी प्रमाणपत्र (यह शर्त 5 वर्ष से कम के बच्चे पर लागू नहीं)

(iii) जिला मजिस्ट्रेट/कलक्ट्रेट द्वारा निर्गय आय प्रमाण–पत्र ।

(iv) जिला/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण–पत्र (संदभ्र 4एच एवं 6ग)

(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा मृत्यु/शवअन्त्य परीक्षण रिपोर्ट (यदि स्थानीय भाषा में है तो जिला कमेटी द्वारा प्रमाणित हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद सहित)

(vi) पुलिस अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाणपत्र कि मृतक किसी आतंकवादी/सांप्रदायिक कृत्यों में सम्मिलित नहीं था ।

9– मैं.....(आवेदक का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि बालक/बालिका को किसी अन्य स्रोत से सहायता नहीं मि रही है ।

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त प्रदत्त सूचना सत्यापित की गयी व सही पायी गई ।

राजस्व अधिकारी खण्ड वि0 अधिकारी/तहसीलदार के हस्ताक्षर व मुहर

भाग–।।

(जनपदीय समिति द्वारा भरा जायेगा)

(1)–कॉलम नं0–8 के कमांक (i) से (vi) तक में अंकित प्रमाण पत्र संलग्न पाये गये।
(2)–बालक/बालिका हेतु आवश्यक समाज कल्याण सेवा
क्या बच्चे को स्वयंसेवी संस्थान/अभिभावक/संरक्षक/दत्तक ग्रहण या नज़दीकी रिश्तेदार/पारिवारिक मित्र के साथ रखने की संस्तुति की गई है ?
(3)–व्यक्ति का नाम/पता जिाको सहायता दी जानी है–
(4)–जनपदीय समिति की संस्तुति

कार्यालय की मुहर

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर

दिनांकः–

प्रत्येक बच्चे के लिये पृथक प्रार्थना पत्र उपयोग किया जायेगा ।

प्रारूप – ए

शिक्षा प्रमाण–पत्र

कमांक–

(विद्यालय के लेटर हेड पर)

प्रमाणित किया जाता है कि कु0 / श्री.....पुत्र / पुत्री श्री.....
..... (पिता का नाम) तथा ..... (माता का नाम) इस विद्यालय के कक्षा.....वर्ग.....के नियमित छात्र / छात्रा हैं । इनका प्रवेश इस विद्यालय में दिनांक.....को प्रवेश कमांक.....पर, शिक्षा सत्र.....(दिनांक) के लिये, प्रवेश हुआ था । विद्यालय के अभिलेखों के के अनुसार इनकी जन्म तिथि .....(अंकों में).....(शब्दों में) है ।

दिनांक–

हस्ताक्षर / नाम
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक
मुहर

(अपर लेखन अनुमन्य नहीं है)

प्रारूप – बी

आय प्रमाण–पत्र

दिनांकः–

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री .....

पत्नी/पुत्र श्री .....(पूर्ण पता).....

के निवासी हैं ।

इनकी समस्त ज्ञात स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय .....(रूपया) है। जोकि शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय सीमा के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे है ।

शासन द्वारा परिवाएर के सदस्य/सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर दिये गये सेवायोजन का विवरण :–

नाम..... मृतक से सम्बन्ध .....

मासिक आय.....

प्रस्तुत सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास के आधार पवर सही है ।

हस्ताक्षर–

नाम–

तहसीलदार'–

तहसील/जनपद

मुहर

(अपर लेखन अनुमन्य नहीं है)

प्रारूप – सी

जन्म प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना कार्यालय.....

.....(जन्म मृत्य पंजीकरण अधिनियम,1969 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी) जनपद.....राज्य.....के मूल अभिलेख से उद्धधत की गयी है ।

1–नाम.....

2–लिंग.....

3–जन्म तिथि(अंकों में)–.....
(शब्दों में)–.....

4–जन्म स्थान.....

5–पिता का नाम.....

6–माता का नाम.....

7–पंजीकरण संख्या.....

8–पंजीकरण का दिनांक.....

हस्ताक्षर एवं पदनाम
(निर्गत करने वाले विहित अधिकारी की मुहर सहित)

दिनांकः–

(अपर लेखन अनुमन्य नहीं है)